कार्यालय आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या–एफ0एस0एस0ए0/गुटका प्रतिषेध/12/2012/

देहरादूनः दिनांक 15, अक्टूबर, 2019

आदेश

जैसा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (2006 का 34) की धारा 26 सपठित धारा 92 की उपधारा (2) के खण्ड (झ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण द्वारा निर्मित खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 के अधीन "किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तम्बाकू और निकोटिन का उपयोग प्रतिबन्धित किया गया है।

और जैसा कि गुटका तथा पान मसाला खाद्य उत्पाद है, इन उत्पादों में तम्बाकू और निकोटिन का उपयोग संघटक के रूप में किया जा रहा है।

और जैसा कि खाद्य उत्पादों में तम्बाकू तथा निकोटिन का बहुत ज्यादा संघटक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, जिसे जन स्वास्थ्य के हित में गुटका तथा पान मसाला निषिद्ध किया जाना आवश्यक है।

और जैसा कि खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त जन स्वास्थ्य के दृष्टिगत राज्य के किसी भाग या पूरे राज्य में एक वर्ष तक के लिये किसी भी खाद्य पदार्थों के निर्माण, भण्डारण, वितरण, बिक्री को पूरे राज्य में प्रतिबन्धित कर सकता है।

अतएव अब खाद्य सुरक्षा तथा मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम 2011 के विनियम 2.3.4 का अनुसरण करते हुए तम्बाकू तथा निकोटिन युक्त गुटका, पान मसाला या अन्य खाद्य पदार्थ जो किसी भी नाम से बाजार में उपलब्ध हों, जन स्वास्थ्य के दृष्टिगत सम्पूर्ण राज्य में इस आदेश के निर्गत होने की तारीख से एक वर्ष तक अवधि के लिए निर्माण, भण्डारण, वितरण एवं बिक्री को प्रतिबन्धित करते है।

(नितेश कुमार झा)
आयुक्त।
उत्तराखण्ड।

पत्र संख्याः एफ0एस0एस0ए0/गुटका प्रतिषेध/12/2012/6831 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त अभिहित अधिकारी (खाद्य संरक्षा) उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तराखण्ड, रूड़की को शासकीय गजट में प्रकाशनार्थ।
8. गार्ड फाइल।

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर आयुक्त।